

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 837]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2018/अग्रहायण 6, 1940

No. 837]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2018/AGRAHAYANA 6, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1139(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेश आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेश आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेश आर्थिक जोन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विशेश आर्थिक जोन नियम, 2006 के, नियम 41 के, उपनियम (1) के, खंड (क) में, परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"परंतु रत्न और आभूशण यूनिट के मामले में, सोने के जड़ाऊ आभूशण, चाँदी के आभूशण एवं कृत्रिम आभूशण, तैयार माल जिनका आगे का प्रसंस्करण अपेक्षित है अथवा अर्द्ध तैयार माल, उप संविदा करने के लिए यूनिट द्वारा विशेश आर्थिक क्षेत्र के बाहर ले जाए गए हों को यूनिट में पैंतालिस दिनों के अंदर वापस ले आना होगा।"

[फा. सं. सी-2/1/2018-एसईजेड]

बी बी स्वेन, अपर सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग—II, खण्ड — 3, उप—खण्ड (i) में सा. का. नि. संख्या 54(अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा. का. नि. संख्या 909(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2018 द्वारा अंतिम सं ग्रेधन किया गया।

6869 GI/2018 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2018

- **G.S.R.** 1139(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—
- 1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Special Economic Zones (2nd Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in rule 41, in sub rule (1), in clause (a), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that in case of a gems and jewellery unit, studded gold jewellery, silver jewellery and imitation jewellery, the finished goods requiring further processing or semi-finished goods, taken outside the Special Economic Zone for sub-contracting by the unit shall be brought back into the unit within forty-five days."

[F.No. C-2/1/2018-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (i), *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended vide notification number G.S.R. 909 (E), dated the 19 September, 2018.